तेलंगाना के लोग बदलाव के लिए उत्सुक हैं। वे कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यह चुनौती लेने के लिए तैयार है।
—— मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, कांग्रेस

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परेशान हैं क्योंकि भाजपा भ्रष्टाचार से लड़ रही है और देश को प्रगति के पथ पर ले जा रही है।
—— भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री

संक्षिप्त खबरें

स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली । ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ. डीआर सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को पत्र लिखकर यूनानी चिकित्सा पद्धति के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के आयुष विभाग में निदेशक पद पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के किसी अधिकारी की नियुक्ति की जाए, ताकि भेदभाव को रोका जा सके। पत्र में डॉ. डीआर सिंह ने दिल्ली सरकार के आयुष विभाग में डिप्टी डायरेक्टर यूनानी के पद पर वर्षों से नियुक्ति नहीं करने का आरोप लगाते हुए जल्द नियुक्ति की मांग की। उन्होंने कहा कि यूनानी आयुष का अहम हिस्सा है, जो लोगों को सेहतमंद रखने में अहम भूमिका निभा रहा है।

श्री गोपालदास नीरज स्मृति सम्मान से सम्मानित होंगे युवा साहित्यकार वेद मित्र

नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा छंदबद्ध कविता विधा में श्री गोपालदास नीरज स्मृति सम्मान से डॉ. वेद मित्र शुक्ल को उनके हिन्दी सॉनेट संग्रह 'एक समंदर गहरा भीतर' के लिए सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत नियमानुसार समारोहपूर्वक सम्मान स्वरूप प्रशस्ति-पत्र और एक लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। युवा साहित्यकार डॉ. शुक्ल ने कहा कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान से समृद्ध कविता की सॉनेट उपविधा को सहिष्णुता की अद्भुत मिसाल माना जा सकता है। डॉ. शुक्ल वर्तमान में डीयू से सम्बद्ध राजधानी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अब तक हिन्दी व अंग्रेजी में दर्जन भर से भी अधिक पुस्तकों के लेखक वेद मित्र इसी वर्ष फीजी देश में संपन्न हुए 12वें विश्व हिन्दी सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भी सम्मिलित हुए थे।

धार्मिक पुस्तकों में लगा दी आग

नई दिल्ली । विवेक विहार इलाके में संत रामपाल के कुछ अनुयायी धार्मिक प्रचार के लिए पहुंचे। यहां पहुंचकर इन लोगों ने प्रचार के लिए कुछ पुस्तकों को बांटना शुरू कर दिया। लोगों ने जब पुस्तकों को देखा तो उसमें हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में विवादित बातें लिखी हुई थीं। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जुट गई। मंगलवार दोपहर लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। शुरुआत में आरोपियों ने बहस की, लेकिन बात बनती न देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागना शुरू कर दिया।

नई दिल्ली के नौ सरोकार फाउंडेशन के ऑडिटोरियम में नाटक प्रस्तुत करते फनकार ग्रुप के कलाकार एहतराम सिद्दिकी, ज्योति चटर्जी व अंजलि अदा। फोटोः एसएनबी

जुलाई-अगस्त में कहर बरपाएगा डेंगू का डंक, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में !

■ ज्ञानप्रकाश

नई दिल्ली। एसएनबी

डेंगू के डंक का कहर अगले दो महीनों जुलाई, अगस्त में कहर बरपा सकता है। दरअसल, यह अनुमान गैर संचारी रोग संस्थान नियंत्रण कमेटी की निगरानी में दिल्ली के 11 जिलों में घर-घर सघन डेंगू रोकथाम अभियान के तहत गमलों, आसपास 33,456 घरों में की गई जांच में डेंगू के लार्वा का प्रजनन पाए जाने के बाद दिया है। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों में तेजी डेंगू के प्रजनन के लिए अनुकूल माना जाता है। यही नहीं, बीते कुछ दिनों से दिल्ली शहर में हुई रिमझिम बारिश से जमीन में नमी है। जो डेंगू के प्रजनन की तीव्रता की संभानवाओं को प्रबल करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के रिकार्ड के अनुसार डेंगू का असर मानसून का समयापूर्व आना डेंगू की तीव्रता को माना जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डा. नूतन मूंडेजा की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में नई एडवाइजरी (एसओपी) तैयार करने पर जोर दिया गया। उनका मानना है कि वैश्विक महामारी कोविड के बाद लोगों की रोग प्रतिरक्षण प्रणाली कमजोर हो गई है। इसलिए हमें बचाव, रोकथाम जागरूकता पर जोर दे रहे हैं।

क्या है वर्तमान में स्थिति :

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के हालिया आंकड़ों के मुताबिक जून महीने के दौरान ही दिल्ली में डेंगू के 23 नए मामले सामने आए हैं, जबकि महीना खत्म होने में अभी कुछ दिन बाकी है। एमसीडी ने डेंगू, मलेरिया की साप्ताहिक रिपोर्ट पेश की इसमें शनिवार तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं। इन आंकड़ों ने दिल्ली के प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है।

■ दिल्ली में डेंगू का कहर, इस महीने सबसे ज्यादा सामने आए मामले

बीमारी की दर में तेजी :

दिल्ली में मच्छरों के काटने से हर साल हजारों लोग बीमार होते हैं। पिछले साल 4469 लोग डेंगू, 263 लोग मलेरिया और 48 लोग चिकनगुनिया की चपेट में आए। डेंगू की चपेट में आकर नौ लोगों की जान चली गई। इसके पहले 2021 में रिकॉर्ड तोड़ लोग मच्छर काटने से बीमार हुए। 9613 लोगों को डेंगू, 167 लोगों को मलेरिया और 89 लोगों को चिकनगुनिया हुआ और 23 लोगों ने डेंगू से जान गंवाई थी।

जागरूकता से तीव्रता कम की जा सकती है :

एमसीडी के जन स्वास्थ्य विभाग के एमएचओ-1 ललन राम वर्मा के अनुसार मच्छरजनित बीमारियों की विशिष्ट दवा या टीका अब तक नहीं बना है, इसलिए मच्छरों से बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है।

हत्या की गुत्थी सुलझी, तीन आरोपी दबोचे

नई दिल्ली (एसएनबी)। बाहरी दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में हुई हत्या मामले में पुलिस ने 22 वर्षीय एक युवक और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। बाहरी जिला के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कर्ज मुख्य आरोपी ने लिया था और मृतक अपने पैसे वापस मांग रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों की शिनाख्त देव राजपूत, अनुराग सूद (19) और अनिकेत शर्मा (22) के रूप में हुई है। पकड़े गए तीनों आरोपी बादली गांव के रहने वाले है।

■ आरोपियों की शिनाख्त देव राजपूत, अनुराग सूद और अनिकेत शर्मा के रूप में हुई

डीसीपी ने बताया कि समयपुर बादली इलाके में हुई हत्या के मामले में पुलिस को एक खुफिया सूचना मिली। सोमवार को पुलिस दल ने रानी बाग के दीपाली चौक में तीनों आरोपियों को दबोच लिया। डीसीपी का कहना है कि आरोपी ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को विक्की पर धारदार हथियार से हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई। राजपूत ने पीड़ित को पीछे से पकड़ रखा था जबकि शर्मा ने उसके चेहरे, छाती और पेट पर छुरे से वार किया। राजपूत ने पुलिस को बताया कि विक्की से उसने पैसे उधार लिए थे और विक्की कई बार अपने पैसों की मांग कर चुका था।

रोजगार मेला
आयोजित करेगी केजरीवाल सरकार

नई दिल्ली (एसएनबी)। श्रम एंव रोजगार मंत्री राज कुमार आनंद ने श्रम विभाग और दिल्ली स्किल एंड आंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (डीएसईयू) के वाइस चांसलर के साथ रोजगार मेले के विषय पर चर्चा के लिए बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए बड़े स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन करेगी। इससे पहले युवाओं को उनके करियर के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नए रोजगार केंद्र खोले जाएंगे और विशेषज्ञों द्वारा उनकी काउंसलिंग की जाएगी। डीएसईयू के वाइस चांसलर ने बताया कि रोजगार केंद्र की मदद से अभी तक दिल्ली में दो हजार से ज्यादा युवाओं को लाभ मिल चुका है। इन रोजगार केंद्रों में यूनिवर्सिटी नए अवसर तलाश रहे युवाओं का मार्गदर्शन करती है। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने डीएसईयू से रोजगार केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 20 करने का प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए हैं।

■ युवाओं को बेहतर रोजगार दिलाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्री ने श्रम विभाग और डीएसईयू के साथ रोजगार मेले के आयोजन को लेकर की बैठक

■ युवाओं की करियर काउंसलिंग के लिए खोले जाएंगे 20 नए 'रोजगार केंद्र'

श्रम एवं रोजगार मंत्री राज कुमार आनंद ने सुझाव दिया कि दिल्ली के युवाओं के रोजगार के विषय में बात करते समय हमें दिव्यांगजनों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि रोजगार मेले में दिल्ली के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग कैंप आयोजित किए जाएं, जिसमें क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मेले के बारे में बताया जाए और उन्हें इसका हिस्सा बनाया जाए। राज कुमार आनंद ने विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर छोटे स्तर पर भी रोजगार मेले आयोजित करने के निर्देश दिए।

बदमाशों ने बुजुर्ग से एक लाख लूटे

नई दिल्ली (एसएनबी)। हर्ष विहार इलाके में दो लुटेरों ने 70 वर्षीय कारोबारी का एक लाख नकदी से भरा थैला छीना और जब बुजुर्ग ने विरोध किया तो उन्हें सड़क पर घसीटते हुए ले गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना 19 जून को हुई जब पीड़ित संसार सिंह मंडोली में अपनी किराने की दुकान बंद करके गाजियाबाद स्थित अपने घर जा रहे थे। पुलिस ने कहा कि इस मामले में अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

विरोध करने पर सड़क पर घसीटा

पुलिस के अनुसार सिंह अपनी दुकान के बाहर एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हुए थे, तभी दो लोग वहां पहुंचे और उनका थैला छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो लुटेरों ने पिस्तौल दिखाकर उन्हें धमकी दी और पैसों से भरा थैला लेकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गया। सीसीटीवी फुटेज में संसार सिंह मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हुए नजर आ रहे हैं तभी दो लोग उनकी ओर आकर हाथ से बैग छीनने की कोशिश करते हैं। जब बुजुर्ग व्यक्ति इसका विरोध करता है, तो लुटेरे उन्हें घसीटते हुए ले जाते हैं और थैला लेकर फरार हो जाते हैं।

इस दौरान बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर गिर जाता है और सड़क के दूसरी ओर खड़ी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस ने कहा कि लुटेरों का एक सहयोगी मामले में तीसरा संदिग्ध है। वह उन दोनों का इंतजार कर रहा था ताकि वे घटना के तुरंत बाद वारदात स्थल से भाग सके। पुलिस ने कहा कि संदिग्धों की पहचान के प्रयास जारी हैं और उन्हें पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है।

प्रसूति अस्पताल में जल्द 24 घंटे शुरू होगा ऑपरेशन थिएटर

-कुलजीत सिंह चहल

नई दिल्ली (एसएनबी)। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के सदस्य कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि लोधी रोड स्थित पालिका प्रसूति अस्पताल में जल्द ही चौबीस घंटे ऑपरेशन थिएटर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। गोल मार्केट स्थित परिसर को संग्रहालय के रूप में संरक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण है, उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को बुधवार को होने वाली काउंसिल बैठक में हरी झंडी मिल जाएगी। यह जानकारी उन्होंने निरीक्षण करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में दी है।

परिषद सदस्य ने प्रसूति अस्पताल का दौरा करके कार्य का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत 12 योजनाएं चल रही हैं। ऑपरेशन थिएटर को अपडेट किया जा रहा है, उम्मीद है कि जल्द ही 24 घंटे काम करना शुरू कर देगा। गोल मार्केट परिसर को संग्रहालय के रूप में विकसित करने की योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि परिसर के साथ ही आसपास के ब्लॉक का काम चल रहा है। यह एनडीएमसी का पहला डिजिटल संग्रहालय होगा। पूरी तरह से वातानुकूलित होने के साथ ही फूट कोर्ट एवं सबबे का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के बाद उप-राज्यपाल ने सभी विरासतों को संवारने का काम तेज कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह योजना वर्ष 2006 में शुरू होनी थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते काम शुरू नहीं हो पाया। हालांकि इस योजना के लिए काउंसिल ने अगस्त 2022 में ही प्रशासनिक स्वीकृति दे दी थी। इस मामले को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को होने वाली बैठक में रखे जाने की उम्मीद है।

■ काउंसिल बैठक में आज संग्रहालय के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर : सदस्य

फर्जी सीमाशुल्क अधिकारी बन लूटे ₹4.15 लाख

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई एयरपोर्ट) पर दो लोगों ने फर्जी सीमाशुल्क अधिकारी बनकर एक व्यक्ति (53) से चार लाख रुपए से अधिक मूल्य की विदेशी मुद्रा लूट ली। पीड़ित सऊदी अरब में मजदूर के तौर पर काम करता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजस्थान के अजमेर का रहने वाला मोहम्मद सुलेमान रविवार सुबह सऊदी अरब से दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचा था। पीड़ित द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया कि एयरपोर्ट के बाहर दो आरोपी खुद को सीमा शुल्क का अधिकारी बताते हुए सुलेमान को पार्किंग इलाके में ले गए। रास्ते में उन्होंने पीड़ित का पासपोर्ट और सामान ले लिया। इसके बाद पीड़ित को एक कार में बैठाकर महिपालपुर ले जाया गया जिसे अन्य व्यक्ति चला रहा था।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने कार को सुनसान इलाके में रोककर उसका मोबाइल फोन और 19 हजार सऊदी रियाद (4.15 लाख रुपए) और दो हजार रुपए छीन लिए। आरोपियों ने पीड़ित से पूछा कि उसके पास मोबाइल फोन और विदेशी मुद्रा कहां से आई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने पीड़ित को गाड़ी से बाहर निकाल दिया और ये बोलकर निकल गए कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारी को लेकर वापस आएंगे। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

THE KHATTRI CO-OPERATIVE URBAN BANK LTD
KHATTRI BHAWAN, 24, DARYA GANJ, NEW DELHI - 110002

CORRIGENDUM

It has been noted that under the financial statement - Profit & Loss Account for the year ended 31.03.2023, 'Schedule No. 14', inadvertently missed publication in this news paper on 27.06.2023. Accordingly, 'schedule no.14- Other income', may now please be read as under:-

Schedule 14 – Other Income (000's omitted)

S.No.	PARTICULARS	Year Ended 31-03-2023	Year Ended 31-03-2022
I.	Commission, exchange and brokerage	57	58
II.	Profit on sale of investments	10367	7320
	Less : Loss on sale of investments	0	0
III.	Profit on revaluation of investments	0	0
	Less : Loss on revaluation of investments	0	0
IV.	Profit on sale of land, buildings and other assets	0	0
	Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	0	0
V.	Profit on exchange transactions	0	0
	Less : Loss on exchange transactions	0	0
VI.	Income earned by way of dividends, etc. From subsidiaries / companies and / or joint ventures abroad / in india	0	0
VII.	Miscellaneous Income	8756	8470
	Total	19179	15848

Note : Under items II and V loss figures shall be shown in brackets

कार्यालय उप गन्ना आयुक्त, मेरठ गन्ना भवन, पाण्डव नगर, मेरठ

पत्रांक : 561/ई-निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक : 27.06.2023

(ई-प्रोक्योरमेंट सूचना)

परिक्षेत्र-मेरठ की सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों की एस.जी.के.-ई.आर.पी. के माडयूल पर कार्य करने हेतु 30-कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री आपरेटर की उपलब्धता, उत्कृष्ट आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने हेतु ''तकनीकी बिड'' तथा ''वित्तीय बिड'' ऑनलाईन- http://etender. up. nic.in के माध्यम से ई-निविदा निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है।

(डॉ.बी.के.गोयल)
सम्भागीय विख्यापन अधिकारी
कार्यालय उप गन्ना आयुक्त, मेरठ

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **दीपक पुत्र जशवंत पता मकान नं 2/17, पटेल पार्क, बरही रोड़, बहादुरगढ़, हरियाणा दिल्ली ने एफआईआर सं. 494/22 दिनांक 17.05.2022 धारा 384/170ए/171/120बी/34 भा.द.स. के तहत** थानाः पश्चिम विहार ईस्ट, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **दीपक** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **दीपक** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। अतः इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **एफआईआर सं. 494/22 दिनांक 17.05.2022 धारा 384/170ए/171/120बी/34 भा.द.स. के तहत** थानाः पश्चिम विहार ईस्ट, दिल्ली **के उक्त दीपक** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **01.08.2023** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
देवांशु सजलन
महानगर दण्डाधिकारी–07
कमरा नं.289, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/6924/OD/2023

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr. P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **शुभम चौधरी पुत्र श्री चरन सिंह, निवासी– डी–317, गली नंबर 08, भजनपुरा, दिल्ली ने मुकदमा संख्या 406/2018 धारा 323/341/506 IPC अन्तर्गत थाना जफराबाद, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **शुभम चौधरी** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **शुभम चौधरी** फरार हो गया है (या उक्त वारटं के तामील से बचने के लिये अपने आपको छिपा रहा है)।

अतः इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि **मुकदमा संख्या 406/2018 धारा 323/341/506 IPC अन्तर्गत थाना जफराबाद, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **शुभम चौधरी** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **26.07.2023** को या इससे पहले हाजिर हों।

आदेशानुसार
श्री भरत अग्रवाल
महानगर दण्डाधिकारी–05
कोर्ट नं0 48, जिलाः शाहदरा
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

DP/6950/NE/2023 (Court Matter)

परिशिष्ट IV-A
नियम 8(6) का नियम देखे
अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6)के नियमों को पढते हुए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई– निलामी बिक्री सूचना।

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गॅरेन्टर (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड [CIN: L65922DL2005PLC136029] (''सुरक्षित लेनदार द्वारा'')** द्वारा **रचनात्मक कब्जा** लिया जा चुका है, को **31.07.2023** को दोपहर **02.00** से **04.00** बजे तक **''जहां है'', ''जैसा है'', और ''जो कुछ भी है''**, की वसूली के लिए ऋण **खाता नं. HHLDPM00514883** के लिए **रु. 59,47,426.51/- (रुपए उनसठ लाख सैंतालीस हजार चार सौ छब्बीस और पैसे इक्यावन मात्र)** के लिए **22.06.2023** तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागू भावी ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ **23.06.2023** से प्रभावी जो **सुनील पाहवा, काइजेन पाहवा टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड और चारु पाहवा** पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाया है की वसूली के लिए बेचा जाएगा।

अचल संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य **रु. 60,00,000/- (रुपए साठ लाख मात्र)** होगा और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट **(''ईएमडी'') रु. 6,00,000/- (रुपए छह लाख मात्र)** यानि आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर होगा।

अचल संपत्ति का वर्णन

संपत्ति नंबर 1

निर्मित संपत्ति बेअरिंग नंबर 252 का संपूर्ण ऊपरी भूतल, (छत के अधिकारों के बिना), क्षेत्र 25.90 वर्ग मीटर, ब्लॉक/पॉकेट डी–11, सेक्टर 7, रोहिणी, नई दिल्ली – 110085, स्टिल्ट पार्किंग में एक–चौथाई अविभाजित हिस्सेदारी के साथ और जो निम्नानुसार सीमाबद्ध है:–

पूर्व : प्लॉट नंबर 257 **पश्चिम** : खुला
उत्तर : प्लॉट नंबर 251 **दक्षिण** : प्लॉट नंबर 253

संपत्ति नंबर 2

निर्मित संपत्ति बेअरिंग नंबर 253 का संपूर्ण ऊपरी भूतल, (छत के अधिकारों के बिना), क्षेत्र 25.90 वर्ग मीटर, ब्लॉक/पॉकेट डी–11, सेक्टर 7, रोहिणी, नई दिल्ली – 110085, स्टिल्ट पार्किंग में एक–चौथाई अविभाजित हिस्सेदारी के साथ और जो निम्नानुसार सीमाबद्ध है:–

पूर्व : प्लॉट नंबर 257 **पश्चिम** : खुला
उत्तर : प्लॉट नंबर 252 **दक्षिण** : प्लॉट नंबर 256

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानि www.indiabullshomeloans.com पर दिए गए लिंक को देखे और बोली लगाने के लिए www.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें।

सही/–
दिनांक : 24.06.2023 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : दिल्ली **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड
JUBILANT FOODWORKS
सीआईएन: L74899UP1995PLC043677
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट 1ए, सेक्टर 16ए, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश
कॉरपोरेट कार्यालय: 15वां तल, टॉवर इ, स्काईमार्क वन, प्लॉट नं. एच–10/ए, सेक्टर 98, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश
फोन: +91-120-6927500; +91-120-6935400
वेबसाइट: www.jubilantfoodworks.com, ईमेल: investor@jublfood.com

शेयरधारकों को सूचना
इक्विटी शेयर, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") प्राधिकरण को अंतरित करने के संबंध में

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 (5) के निबन्धनों में, कम्पनी के अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई कोई भी राशि, जो ऐसे अंतरण की तिथि से सात (7) वर्षों की अवधि हेतु अदत्त या अदावित रहती है, अधिनियम की धारा 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक फंड जिसे आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाएगा, जो इसके अतिरिक्त, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 ("आईईपीएफ नियमावली") के साथ पठित अधिनियम की धारा 124 (6) के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी को ऐसे शेयर भी, आईईपीएफ अथॉरिटी के डीमैट खाते में अंतरित करने होंगे, जिनके संबंध में लाभांश सात (7) लगातार वर्षों या अधिक हेतु अदत्त या अदावित रहता है।

व्यक्तिगत संचार उन सभी शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेज दिया गया है जिनके लाभांश लगातार सात वर्षों से यानी वित्त वर्ष 2015–16 से आज तक अदावित हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ नियमों के तहत आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.jubilantfoodworks.com/investors/shareholder-information/unclaimed-dividend-iepf, पर डाला गया है।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्त वर्ष 2015–16 और उसके बाद के अदावी लाभांश का दावा करने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उपयुक्त संचार के अनुसार आवश्यक दस्तावेज अग्रेषित करें। यदि **30 सितंबर, 2023** तक लाभांश का दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी द्वारा अदावी लाभांश को अंतर्निहित शेयरों के साथ आईईपीएफ प्राधिकरण को, आईईपीएफ नियमावली के तहत दी गई विधि में, आगे और कोई सूचना दिए बिना, अंतरित कर दिए जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ में स्थानांतरित किए गए शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा मान्य नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें कि दावा न किए गए लाभांश और ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभों सहित अंतर्निहित शेयर, यदि कोई हो, को एक बार आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के बाद www.iepf.gov.in की वेबसाइट पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद केवल आईईपीएफ प्राधिकरण से वापसी का दावा किया जा सकता है।

शेयरधारक, उपरोक्त के संबंध में किसी पूछताछ के लिए, कम्पनी से investor@jublfood.com पर अथवा/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, एनएच–2, सी–1 ब्लॉक, एलएससी, निकट सावित्री मार्किट, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 फोन : +91 11 49411000, ई–मेल : delhi@linkintime.co.in, वेबसाइट : www.linkintime.co.in पर सम्पर्क करें।

वास्ते **जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड**
हस्ता./–
दिनांकः 27 जून, 2023 **(मोना अग्रवाल)**
स्थानः नोएडा **कम्पनी सचिव**

शुभम् हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड
शुभम्
कार्पोरेट कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेज–4, गुरूग्राम–122015 (हरियाणा)
फोन : 0124–4212530/31/32, ई–मेल : customercare@shubham.co वेबसाइट : www.shubham.co

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसमें आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13(2) के तहत सूचना

आपको सूचना दीजातीहै किप्रत्यामूत क्रेडिटर शुभम् हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, 608–609, छठा तल, ब्लॉक–सी, अंसल इम्पीरियल टावर, कम्युनिटी सेंटर, नारायणा विहार, नई दिल्ली–110028 (इसमें आगे 'एसएचडीएफसीएल' कही गई है) द्वारा आपका ऋण खाता एनपीए घोषित किया गयाहै तथा आप अपने ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एसएचडीएफसीएल को करने हेतु जिम्मेदार हैं। आप उपरोक्त राशि पर संविदा दर पर भावी ब्याज तथा अनुषंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि का भी भुगतान करने हेतु जिम्मेदार हैं। अतएव, हम एतद्द्वारा आपसे अपनी पूरी देयताओं का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर एसएचडीएफसीएल को करने की मांग करते हैं, जिसमें असफल रहने पर, एसएचडीएफसीएल को अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा। कर्जदारों तथा प्रत्यामूत आस्तियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या कर्जदार(रों) का नाम	आवेदकका पता	मांग सूचना राशि एवं तिथि	सुरक्षित सम्पत्ति
1.	MRT_1509_044797, आसिफ, शाहजहां	गड्डे वाली मस्जिद के सामने, नगर मेरठ, उत्तर प्रदेश– 250002	रू.5,03,710/- एवं 20-06-2023	खसरा नंबर 3094 एवं 3095 लखीपुरा, मेरठ, उत्तर प्रदेश– 250002

स्थान : गुरूग्राम प्राधिकृतअधिकारी,
तिथि : 27–06–2023 शुभम् हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड